नेपाल में राजनीतिक अशांति

नेपाल इस समय राजनीतिक अशांति के दौर से गुज़र रहा है। **भ्रष्टाचार, बेरोज़गारी, असमानताओं और सोशल मीडिया प्रतिबंधों** के कारण युवाओं के नेतृत्व में (Gen Z) विरोध प्रदर्शनों के बीच **प्रधानमंत्री का इस्तीफा व्यापक क्षेत्रीय असंतोष** को दर्शाता है।

नेपाल के राजनीतिक संकट का भारत पर प्रभाव

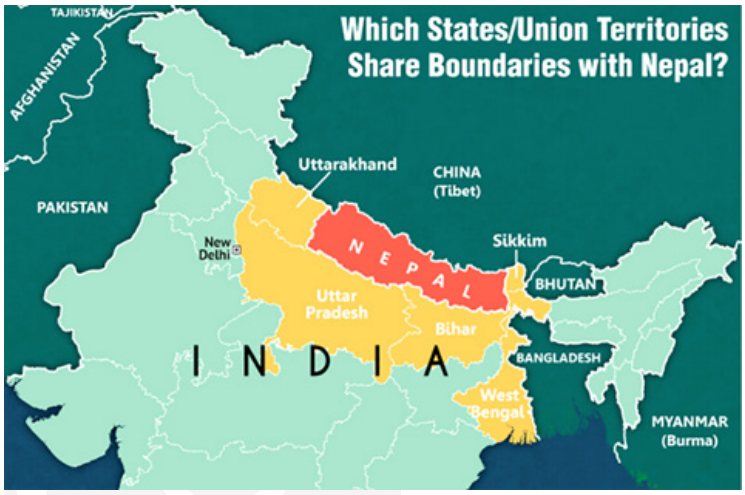

- **सुरक्षा चिंताएँ:** अस्थिरता से शासन में अंतराल उत्पन्न हो सकता है, जिसका लाभ **उग्रवादियों और अपराधियों** द्वारा उठाया जा सकता है। तस्करी, मानव तस्करी या आतंकवादी घुसपैठ के माध्यम से **भारत की आंतरिक सुरक्षा को खतरा** हो सकता है।
- **आर्थिक प्रभाव: नेपाल का प्रमुख व्यापारिक साझेदार** भारत निवेश और आपूर्ति शृंखला में अनिश्चितता का सामना कर रहा है, जिसमें चीन के हस्तक्षेप की संभावना है।
- **विकास सहयोग:** राजनीतिक अस्थिरता भारत की **हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स** (HICDPs) में बाधा डालती है और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के लिये अवसर उत्पन्न करती है।
- **जलविद्युत सहयोग:** अस्थिरता से अरुण-3 जैसी प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं में विलंब हो सकता है, जिससे भारत के क्षेत्रीय ऊर्जा केंद्र के लक्ष्य प्रभावित हो सकते हैं।
- **रक्षा एवं सुरक्षा:** राजनीतिक संकट सैन्य संबंधों **(संयुक्त सूर्य किरण अभ्यास)** और आदान-प्रदान में व्यवधान उत्पन्न करते हैं, जिससे चीन जैसे प्रतिद्वंद्वी बाह्य तत्त्वों को प्रभाव बढ़ाने का अवसर मिलता है।

पड़ोसी देशों में अशांति के परिणाम	संबंधित उपाय
भू-राजनीतिक और सामरिक निहितार्थ: चीन और अमेरिका द्वारा शक्ति-शून्यता की स्थिति में प्रभुत्व स्थापित करना, हिंद महासागर का सैन्यीकरण और महत्त्वपूर्ण बंदरगाहों **(हंबनटोटा और ग्वादर)** पर चीन का नियंत्रण।	**SAARC और BIMSTEC** के साथ क्षेत्रीय संकट प्रबंधन ढाँचे का निर्माण, संयुक्त सैन्य अभ्यासों (नेपाल, मालदीव और म्याँमार के साथ) का विस्तार और समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा।
आर्थिक और विकासात्मक प्रभाव: सीमा पार परियोजनाओं (भारत-म्याँमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग) में विलंब, निवेश में कमी और राजनीतिक अशांति के कारण साख पर प्रभाव।	**BBIN मोटर वाहन समझौते और कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट परियोजना** के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और बुनियादी ढाँचे का सुदृढ़ीकरण करना।
शरणार्थी और मानवीय संकट: शरणार्थियों के आगमन से सामाजिक-सांस्कृतिक तनाव और घरेलू बुनियादी ढाँचे पर दबाव।	बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिये सुगम ऋण और अनुदान प्रदान करके आर्थिक और **कनेक्टिविटी-संचालित कूटनीति** को प्राथमिकता देना।
बहुपक्षीय मंचों पर भारत के सामरिक प्रभुत्व पर प्रभाव: राजनीतिक गतिरोध क्षेत्रीय संगठनों **(SAARC और BIMSTEC)** को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है और क्षेत्र-बाह्य शक्तियों को विभाजन का लाभ उठाने का अवसर प्राप्त हो रहा है।	पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को घनिष्ठ करने के लिये **ITEC जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से सॉफ्ट पावर और लोगों के बीच संबंधों** को बढ़ावा देना।

आरक्षण: 50% की सीमा या अधिक

बिहार के विपक्षी दल के नेता ने सत्ता में आने पर **आरक्षण को 85% तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया** है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) पर 'क्रीमी लेयर' की अवधारणा लागू करने को लेकर जवाब मांगा है।

- केंद्रीय स्तर पर आरक्षण में **OBC के लिये 27%, SC के लिये 15%, ST के लिये 7.5%** और EWS के लिये 10% का प्रावधान है, जो राज्यों में अलग-अलग हो सकते हैं।

केंद्र स्तर पर आरक्षण के संबंध में महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम

वर्ष	प्रमुख विकास
1950 और 1951	संविधान का प्रारंभ और पहला संशोधन – अनुच्छेद 15 और 16 में प्रावधान लागू किये गए ताकि OBC, SC और ST को बढ़ावा दिया जा सके।
1982	केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में SC और ST के लिये आरक्षण क्रमशः 15% और 7.5% तय किया गया।
1990	मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार की नौकरियों में OBC के लिये 27% आरक्षण की शुरुआत।
2005	अनुच्छेद 15(5) को 93वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जिसने निजी संस्थानों सहित शैक्षिक संस्थानों में OBC, SC और ST के लिये आरक्षण लागू किया।
2019	अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को 103वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया, जिसने अनारक्षित वर्गों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) के लिये शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक रोज़गार में 10% तक आरक्षण की अनुमति दी।

पक्ष में तर्क	विपक्ष में तर्क
• पिछड़ी जातियाँ (OBC, SC, ST) भारत की जनसंख्या का **60% से अधिक हिस्सा कवर करती** हैं और इसकी सीमा 50% है।	• **इंद्रा साहनी (1992)** मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने योग्यता और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन बनाने के लिये 50% की सीमा, कुछ अपवादों को छोड़कर, की पुष्टि की।
• **रोहिणी आयोग (वर्ष 2017-23)** ने पाया कि OBC आरक्षण का 97% लाभ 25% उप-जातियों को मिलता है; उप-वर्गीकरण से इसमें सुधार की संभावना है।	• **40-50% आरक्षित सीटें खाली रह जाती हैं,** जिससे यह पता चलता है कि बेहतर कार्यान्वयन के बगैर कोटा बढ़ाने से कोई सहायता नहीं मिलेगी।
• **केरल राज्य बनाम एन.एम. थॉमस (1975)** मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आरक्षण में समानता बनी रहनी चाहिये, न कि उसे किसी सीमा तक सीमित रखा जाना चाहिये।	• **दविंदर सिंह (वर्ष 2024)** मामले में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों में अंतर-जातीय असमानताओं को दूर करने पर ज़ोर दिया गया, क्योंकि क्रीमीलेयर को पृथक् किये बगैर आरक्षण का विस्तार करने से असमानताओं में वृद्धि हो सकती है।
• तमिलनाडु, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने सामाजिक वास्तविकताओं को दर्शाते हुए **50% से अधिक आरक्षण** लागू किया है।	• अत्यधिक कोटा बढ़ाने से **प्रशासनिक दक्षता** और शासन व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

आरक्षण के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सुझाव

- जनसंख्या वितरण और सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर सटीक आँकड़े एकत्र करने के लिये एक **व्यापक जातिगत जनगणना** आयोजित कराना।
- अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उप-वर्गीकरण के लिये **रोहिणी आयोग की सिफारिशों को लागू करना** और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये क्रीमीलेयर के बहिष्करण पर विचार करना।
- **अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये द्वि-स्तरीय आरक्षण** के लाभ को अपेक्षाकृत संपन्न वर्गों तक विस्तारित करने से पहले अधिक वंचित वर्गों को प्राथमिकता दी जाए।
- **रिक्त आरक्षित पदों की पूर्ति** और प्रशासनिक दक्षता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना।
- भारत के युवाओं के लिये **प्रशिक्षण कार्यक्रमों और रोज़गार सृजन के साथ आरक्षण** को पूरक बनाना।

भारत की रणनीतिक महत्त्वाकांक्षाओं हेतु BRICS का प्रयोग

BRICS नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मलेन में **भारत के विदेश मंत्री ने** अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ाने की पृष्ठभूमि में **व्यापार नीतियों को राजनीतिक या गैर-व्यापारिक मुद्दों से जोड़ने के खिलाफ आगाह किया।**

> **BRICS सदस्य (11):** ब्राज़ील (B), रूस (R), भारत (I), चीन (C), दक्षिण अफ्रीका (S), सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, इथियोपिया, इंडोनेशिया और ईरान।

भू-आर्थिक संकटों से भारत को सुरक्षा प्रदान करने में BRICS की भूमिका	
• **पश्चिमी संस्थाओं (IMF** और विश्व बैंक) **के अतिरिक्त अन्य वित्तीय संसाधनों की सुविधा,** जैसे कि बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिये **NDB द्वारा प्रदत्त ऋण** (~10 बिलियन अमेरिकी डॉलर)। • **स्थानीय मुद्रा व्यापार:** स्थानीय मुद्राओं (BRICS आरक्षित मुद्रा और रुपया-रूबल व्यापार जैसी द्विपक्षीय व्यवस्थाओं) में व्यापार के माध्यम से डॉलर की अस्थिरता और प्रतिबंधों के प्रति सुभेद्यता में कमी लाने में सहायक।	• **बाज़ार पहुँच: वैश्विक अर्थव्यवस्था के 40% हिस्से** के साथ वैश्विक मंदी के विरुद्ध एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। • **खाद्य, उर्वरक और ऊर्जा सुरक्षा: रूस की प्रमुख आपूर्तिकर्त्ता की भूमिका** के रूप में खाद्य, उर्वरक और ऊर्जा आपूर्ति में स्थिरता सुनिश्चित होती है। **(भारत कच्चे तेल की कुल आवश्यकताओं का 80% से अधिक आयात करता है।)**

BRICS में भारत की विस्तारित भागीदारी की चुनौतियाँ	आगे की राह
• **संस्थागत सीमाएँ:** यूरोपीय संघ/ASEAN के विपरीत BRICS में बाध्यकारी संरचनाओं का अभाव है (BRICS आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था का प्रयोग अभी भी पूर्ण रूप से नहीं होता है)।	• BRICS की विश्वसनीयता और प्रभुत्व को बढ़ाने के लिये सुदृढ़ संस्थागत ढाँचों का समर्थन करना होगा।
• **वित्तीय विकल्पों संबंधी धीमी प्रगति:** डी-डॉलराइज़ेशन और स्थानीय मुद्रा व्यापार का अपूर्ण कार्यान्वयन।	• रुपया-आधारित व्यापार तंत्र का विस्तार करने और वित्तीय विकल्पों के यथाशीघ्र कार्यान्वयन पर ज़ोर देने की आवश्यकता है **(UPI को रूस के SPFS से लिंक किया जाना)।**
• **अन्य गठबंधनों के साथ असंगतता और रणनीतिक संतुलन:** क्वाड और G7 जैसे पश्चिमी नेतृत्व वाले समूहों के साथ BRICS के संबंधों को संतुलित करना।	• रणनीतिक साझेदारों को अलग किये बिना **क्वाड, G20 और SCO** में भारत की भागीदारी के संदर्भ में BRICS का पूरक होना सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
• **चीन पर आर्थिक निर्भरता:** चीन के साथ बड़ा व्यापार घाटा भारत के प्रभाव को सीमित करता है।	• चीन पर निर्भरता कम करने के लिये BRICS सदस्यों के साथ विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं पर वार्त्ता की जानी चाहिये।
• **प्रौद्योगिकी और डिजिटल निर्भरता:** तकनीकी प्रतिबंधों के प्रति सुभेद्यता और पश्चिमी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता।	• पश्चिमी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता कम करने के लिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), फिनटेक, 6G और डिजिटल बुनियादी ढाँचे में BRICS का नेतृत्व करना; **BRICS में UPI समरूपी मॉडलों को बढ़ावा देना।**

ज्ञान भारतम् मिशन

ज्ञान भारतम् मिशन के अंतर्गत **'पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान विरासत की पुनर्प्राप्ति'** विषय पर आयोजित प्रथम ज्ञान भारतम् अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में संस्कृति मंत्रालय ने हड़प्पा लिपि के कूटवाचन पर शोध प्रस्तुत करने के लिये विशेषज्ञों को आमंत्रित किया।

⌘ **केंद्रीय बजट 2025-26** में इसकी घोषणा किये जाने के साथ इस मिशन का उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों के लिये परंपरा और प्रौद्योगिकी का सम्मिश्रण करते हुए भारत की पांडुलिपि विरासत का संरक्षण और प्रसार करना तथा इसे डिजिटाइज़ करना है।

चरण	विवरण
चरण I	संस्थागत ढाँचे की स्थापना, पायलट डिजिटलीकरण परियोजनाओं की शुरुआत और मुख्य क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन
चरण II	राष्ट्रीय डिजिटल रिपॉज़िटरी का निर्माण और उन्नत प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म्स के क्रियान्वन के माध्यम से पहुँच का विस्तार
चरण III	आउटरीच पहलों का विस्तार, जिसमें प्रदर्शनियाँ और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल हैं और रिपॉज़िटरी को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार से एकीकृत करना

⌘ **मिशन के घटक:**

- ❖ पांडुलिपियों की राष्ट्रव्यापी पहचान और प्रसूचीकरण।
- ❖ वैज्ञानिक और परंपरागत विधियों का उपयोग कर संवेदनशील ग्रंथों की सुरक्षा।
- ❖ **AI-सहाय प्रदत्त अंकीकरण** और एक राष्ट्रीय डिजिटल रिपॉज़िटरी का निर्माण।
- ❖ हस्तलिखित विषय वाक्य पहचान और **ज्ञान-सेतु AI इनोवेशन चैलेंज** जैसे साधन।

⌘ **महत्त्व:**

- ❖ कृति संपदा में **44 लाख से अधिक पांडुलिपियाँ प्रलेखित** हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में भारत के ज्ञान को संरक्षित करती हैं।
- ❖ सांस्कृतिक विरासत को महत्त्व देने और संरक्षित करने के लिये **अनुच्छेद 51A(f) (मूल कर्त्तव्य)** के अनुरूप है।
- ❖ यह **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के अनुरूप** है, जो भारतीय ज्ञान प्रणालियों को आधुनिक शिक्षा में एकीकृत करता है।

हड़प्पा (सिंधु घाटी) लिपि

- **परिचय: सिंधु घाटी सभ्यता (2600-1900 ईसा पूर्व)** के दौरान प्रयुक्त, जो वर्तमान पाकिस्तान और उत्तर-पश्चिम भारत का क्षेत्र था।
- **खोज: सर जॉन मार्शल** की टीम द्वारा (1920 के दशक में) मुहरों, टेराकोटा पट्टिकाओं और धातु पर उत्कीर्ण। इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, जिसमें **चित्रलेख, पशु और मानव आकृतियाँ अंकित हैं।**
- **लेखन शैली और प्रकृति:** इसमें दाएँ से बाएँ लेखन किया गया है, जिसमें लंबे पाठ यदा-कदा बौस्ट्रोफेडन शैली (एक बार दाएँ से बाएँ और अगली बार बाएँ से दाएँ) में हैं। अभिलेख संक्षिप्त हैं, जिनमें **औसतन 5 चिह्न और अधिकतम 26 चिह्न हैं।**
  - संभवतः यह एक **लोगोसिलेबिक प्रणाली है** जिसमें **चित्रलेख और अक्षरों का संयोजन** है और विद्वानों ने एक रीबस सिद्धांत (प्रतीक ध्वनियों/विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं) प्रस्तावित किया है।
- **उद्देश्य:** व्यापार, करों और पहचान के लिये प्रयुक्त जिनमें कुछ प्रतीकों का संभवतः शैक्षिक या धार्मिक महत्त्व हो सकता है।

ESIC द्वारा SPREE 2025 और एमनेस्टी योजना की शुरूआत

- **नियोक्ता एवं कर्मचारी पंजीकरण प्रोत्साहन योजना (Scheme for Promoting Registration of Employers and Employees-SPREE-2025)**
  - इसका उद्देश्य **ESI अधिनियम, 1948** के तहत सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है।
  - यह **1 जुलाई से 31 दिसंबर, 2025** तक सक्रिय रहेगी और यह योजना **अस्थायी और संविदा कर्मचारियों** सहित अपंजीकृत नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों को पंजीकरण का एकल अवसर प्रदान करती है।
- **एमनेस्टी योजना**
  - यह **ESI अधिनियम के तहत एकमुश्त विवाद समाधान पहल** है जिसका उद्देश्य हर्जाने, ब्याज एवं उक्त अधिनियम से संबंधित मुद्दों का निपटारा करना, मुकदमों की संख्या में कमी लाना और सामाजिक सुरक्षा लाभों का सुचारु वितरण सुनिश्चित करना है।
  - यह **1 अक्तूबर, 2025 से 30 सितंबर, 2026** तक सक्रिय रहेगी।

PASSEX और EEZ सर्विलांस

भारतीय नौसेना के जहाज़ों ने **लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती (Long Range Training Deployment)** के के तहत **ला रियूनियन (फ्राँस) और पोर्ट लुइस (मॉरीशस)** में बंदरगाहों का दौरा किया।

- **INS तीर और ICGS सारथी** ने एक **पैसेज अभ्यास (PASSEX)** आयोजित किया, जिससे भारत-फ्राँस नौसैनिक साझेदारी सुदृढ़ हुई।
- **INS शार्दुल** ने संयुक्त EEZ गश्ती और प्रशिक्षण का आयोजन किया, जिसने **भारत-मॉरीशस संबंधों को सुदृढ़ करने** का कार्य किया।
- **हिंद महासागर क्षेत्र** में समुद्री सहयोग, क्षेत्रीय स्थिरता और **MAHASAGAR विज़न** के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर **प्रकाश** पड़ा।

आदि कर्मयोगी अभियान पर राष्ट्रीय सम्मेलन

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने **इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी** (ITDA) के साथ मिलकर सम्मेलन का आयोजन किया।

- **इस अवसर पर आदि संस्कृति की शुरुआत** की गई, जिसे **विश्व का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय** बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि **जनजातीय संस्कृति और उससे संबंधित ज्ञान का संरक्षण** किया जा सके।
- **घटक:**
  - **आदि विश्वविद्यालय (डिजिटल ट्राइबल आर्ट अकादमी)**
  - **आदि संपदा (सामाजिक-सांस्कृतिक संग्रहालय)**
  - **आदि हाट (ऑनलाइन बाज़ार), TRIFED** से संबंधित
- इस कार्यक्रम का ध्यान निम्नलिखित पहलों पर केंद्रित था–
  - **आदि कर्मयोगी अभियान:** विश्व का सबसे बड़ा जनसामान्य जनजातीय नेतृत्व कार्यक्रम, जो **1 लाख गाँवों में 20 लाख परिवर्तनकर्त्ताओं** एवं सामाजिक रूपांतरण के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा।
  - **DAJGUA:** एक अभिसरण-संचालित मिशन, जिसका उद्देश्य जनजातीय गाँवों में आवश्यक सेवाओं, योजनाओं और बुनियादी ढाँचे को समग्र रूप से प्रदान करना है।
  - **PM-JANMAN:** यह पहल **PVTG** (विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह) के लिये आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल, विद्युत और आजीविका सुनिश्चित करेगी।

वर्ष 1970 और 1980 के दशक में स्थापित **ITDA** को **अनुसूचित जनजातियों** को सार्वजनिक सेवाओं और विकास कार्यक्रमों की प्रभावी प्रदायगी सुनिश्चित करने हेतु विशेष संस्थानों के रूप में डिज़ाइन किया गया है।